संख्या:196/व0ट्रि0यो0/507/35-4-2023/35-4002(099)/1/2023-4

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 13 मार्च, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत "प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाया जाना" योजना के संचालन हेतु प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1499/35-4-2022 दिनांक 25.11.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अनुपूरक बजट के माध्यम से लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001 निदेशन तथा प्रशासन-07- **"प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाया जाना" के अधीन मद संख्या-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में कुल प्राविधानित रू0 1435.60 लाख (रू0 चौदह करोड पैंतीस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष पुनर्विनियोग के लिये प्रस्तुत प्रपत्र बी0एम-09 (प्रति संलग्न) पर अंकित वित्त विभाग के संख्या- आर0ई0-बजट-1-363/दस-2023 दिनांक 20.02.2023 द्वारा निम्नलिखित मदों में धनराशि पुनर्विनियोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-**

1- लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001 निदेशन तथा प्रशासन-07- **"प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाया जाना"**

मानक मद	**उपलब्ध धनराशि (लाख रू0 में)**
1	2
08-कार्यालय व्यय	2.00
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपायी	0.10
42-अन्य व्यय	5.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रशासनिक व्यय	5.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00
कुल योग	**15.60**

(रू0 पंद्रह लाख साठ हजार मात्र)

2- अत: उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत पूर्व में प्राविधानित धनराशि में से पुनर्विनियोजित हो जाने के उपरान्त उपर्युक्त मदों की कुल धनराशि **रू0 15.60 लाख एवं मद सं0-16 में अवशेष** धनराशि **रू0 1420.00 लाख अर्थात उक्त लेखाशीर्षक के अंतर्गत अब कुल** धनराशि **रू0 1435.60 लाख (रू0 चौदह करोड पैंतीस लाख साठ हजार मात्र) को** उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं आवश्यक व्ययों का वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं;

1. **विभिन्न मदो के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**
2. **व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध मेंवित्त विभाग दवारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।**
3. **आहरण एवं वितरण अधिकारी दवारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।**
4. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून,2022 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।**
5. **राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जायेगा।**

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001 निदेशन तथा प्रशासन-07- **"प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाया जाना"** के नामें डाला जायेगा।

3. **यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है।**

भवदीय,

(संजीव भारदवाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:196/व0ट्रि0यो0/507(1)/35-4-2023/35-4002(099)/1/2023-4 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/दवितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनभाग-5, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव भारदवाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।